"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ : जट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5 2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2014—माघ 4, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक ई-(1-14/2013/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारी को आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01 -01-2014 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (3) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् 01-(1-2014 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700/-) में पदोन्नत किया जाकर नवीन पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्रीमती शहला निगार, (2001)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	विशेष सचिव, वित्त विभाग

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक ई-01-19/2013/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2014 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् 01-01-2014 से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600/-) में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना
1.	श्री जय प्रकाश मौर्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर
2.	श्री कार्तिकेय गोयल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर का अस्थाई रूप से अतिरिक्त प्रभार.
3.	सुश्री रानू साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया .
4.	श्री सारांश मित्तर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30-12-2011 द्वारा श्री व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1989 बैच) की सेवाएं, 02 वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ मंत्रालय में ली गई है. उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 19-01-2014 को समाप्त हो रही है, में एतद्द्वारा 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्रमांक ई-7/43/2004/1-2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से., आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को अखिल भारतीय से . अवकाश नियम, 1955 के नियम-15 के अनुसार असाधारण अवकाश में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 01-08-2013 से 30-09-2015 तक (02 वर्ष 02 माह) की अवधि के लिए असाधारण अवकाश (अवैतनिक) (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उक्त अवधि में सिंगापुर में निवास करने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :—

(1) उक्त अवकाश पश्चात् श्रीमती शर्मा अपने कार्य पर यथासमय उपस्थित होंगी.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती शर्मा सिंगापुर में किसी प्रकार की नौकरी/व्यवसाय/अध्ययन/रिसर्च आदि नहीं करेंगी.

(3) उक्त प्रवास हेतु भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से किसी प्रकार की अनुमति यदि आवश्यक हो तो श्रीमती शर्मा स्वयं प्राप्त करेंगी एवं उससे राज्य शासन को तत्काल अवगत करायेंगी.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 2814/2230/2012/1-8.—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-15/2013/स्था./चार, दिनांक 03-10-2013 द्वारा श्रीमती करूणा पाण्डेय, लेखाधिकारी (वित्त सेवा), संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय (अवर सचिव पद के विरुद्ध) पदस्थ करते हुए उनकी सेवायें प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है. इस आदेश के पालन में श्रीमती पाण्डेय द्वारा दिनांक 11-10-2013 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है. वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 3-10-2013 पर कार्योत्तर सहमति दी जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 2818/726/2013/1-8.—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-10/2012/11/6, दिनांक 31-7-2012 द्वारा श्री आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्या. एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय पदस्थ किया गया है. उक्त आदेश के पालन में श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 08-08-2013 (पूर्वान्ह) में कार्यभार ग्रहण किया गया. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उक्त आदेश दिनांक 31-07-2012 द्वारा श्री श्रीवास्तव को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किये जाने की कार्योत्तर सहमति दी जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1148/877/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 23-12-2013, 04-01-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अवस्थी को अवकाश वेतन एवं भत्ता अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1149/886/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 26-12-2013, 01-01-2014 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1151/904/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 26-12-2013, 04-01-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2013 एवं 05-01-2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक 02/812/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 02-12-2013 से 07-12-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 01, 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक 04/773/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 14-11-2013 से 20-11-2013 तक 07 दिवस तथा दिनांक 25-11-2013 से 27-11-2013 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौधरी आगामी आदेश तक उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक 06/838/अव./2013/1-8/स्था.—श्री अब्बास खान, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 28-11-2013 से 03-12-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अब्बास खान, आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक 54/838/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 16-12-2013 से 20-12-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 21, 22-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देग होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक 56/836/अव./2013/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 11-12-2013 से 19-12-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक 58/936/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव, श्रम विभाग को दिनांक 20-01-2014 से 25-01-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19, 26-01-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुंदानी आगामी आदेश तक अवर सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंदानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंदानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक (आब.)/पांच.—छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक (आब.)/पांच, दिनांक 31-10-2013 द्वारा श्री देवजी भाई पटेल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 28-10-2013 को स्वीकार किया गया है.

2. शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर तात्कालिक रूप से प्रभार विभाग के सचिव को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 8-1/2014/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-44/रानिआ/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2013/1478, दिनांक 27-12-2013 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् नगर पंचायत चन्द्रपुर, जिला-जांजगीर-चांपा एवं नगर पंचायत भटगांव जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के संबंध में दिनांक 23 जनवरी 2014 को मतदान नियत है.

अत: कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 23 जनवरी 2014 दिन गुरुवार को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित नगरीय निकायों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 11646/3063/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री ए. के. महावर, धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 25-08-2012 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक धमतरी नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10 -व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक 11793/3485/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसारं विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कांकेर (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री ईश्वरलाल साहू, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि जो भी पहले हो, के लिये, परिवीक्षा पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन-103-विशेष न्यायालय, 0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा, किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 3-106/दो-गृह/बजट/2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के तहत नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कॉलम नम्बर 4 की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित

किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम नम्बर 2 में वर्णित खुड़िया (औरापानी) पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/चौकी का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	स्थानीय क्षेत्र/ग्रामों का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस चौकी खुड़िया (औरापानी)	थाना लोरमी	खुड़िया	सिंचाई ग्राम
			डोंगरीगढ़, दुल्लापुर, भूतकछार, मलकछरी, कठौतिया.	01
			नवागांव दयाली, चचेड़ी, झलरी	03
			कारीडोगरी, जाकड़बंधा, जमुनाही, सुरही, महामाई, डगनिया, नेवासखार, अम्हनी, अतरिया, कटामी, सरगढ़ी, झिरिया, बिजराकछार, सलगी, औरापानी, चकदा, पटपरहा, बोईरहा, सांभर धसान, बोकरा, कछार, रजकी, रेजकी.	वनग्राम
			दरवाजा, कंसरी, छिंदपुरा, घानाघाट	05
2.		थाना-कोटा	छपरवा, बिन्दावल, अचानकमार, भावलखार, सारसडोल, कुकरीपानी, बंकई, तेलाई डबरा, कुंबा, जल्दा, डिंगीपुर, दानाखार, लमनी.	वनग्राम
3.		थाना-पेन्ड्रा	रजकी, बिरईपानी	वनग्राम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 01-49/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को दिनांक 23-12-2013 से 01-01-2014 तक (कुल 10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-12-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. डॉ. छाबड़ा, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, दुर्ग (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. डॉ. आनंद छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, दुर्ग का प्रभार श्री पी. के. दास, (भापुसे.) सेनानी, 4थीं वाहिनी, छसबल, माना रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक ए ं 01-51/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा को दिनांक 23-12-2013 से दिनांक 09-01-2014 (18 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-12-2013 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश । लौटने पर श्रीमती माथुर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को वही वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व मिलते थे.

4. श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा का प्रभार श्री बालाजी राव सोमावार, सेनानी 3री वाहिनी छसबल, अमलेश्वर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर भापुसे अवकाश पर नहीं जाती तो पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक/पंग्राविवि/315/Acs/2013.—"पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के लिए निम्नानुसार बीमा योजना, प्रभावशील करता है—

(अ) **योजना का नाम :—**

(i) योजना का नाम "अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना" होगा.

(ब) **योजना हेत पात्रता :—**

(i) प्रदेश के समस्त खेतिहर मजदूर इस योजना के पात्र होंगे. "खेतिहर मजदूर" से तात्पर्य खेतों में मजदूरी करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो 2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि ग्रामीण क्षेत्र में धारण करते हों तथा दूसरों की कृषि भूमि पर भी मजदूरी करते हों".

(ii) बीपीएल श्रेणी अथवा उसके आस-पास के खेतिहर मजदूर, इस योजना के पात्र होंगे.

(iii) 18 से 59 वर्ष आयु समूह के खेतिहर मजदूर योजना हेतु पात्र होंगे.

(iv) इस योजना अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं किया जायेगा जो पूर्व से ही भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य बीमा योजना के तहत् लाभान्वित हो, जैसे तेंदूपत्ता संग्राहक, मितानिन आदि.

(स) **योजना हेतु व्यय :—**

(i) इस योजना हेतु व्यय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वहन किया जावेगा.

(ii) योजना हेतु वार्षिक प्रीमियम रुपये 200/- होगा, जिसमें से 100/- प्रति श्रमिक, विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदाय किया जावेगा. शेष 100/- रुपये प्रीमियम की राशि भारत सरकार से भारतीय जीवन बीमा निगम को सीधे प्राप्त होगी.

(द) योजना के हितलाभ :—

(i) दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के नामित को रुपये 75,000/-

(ii) सामान्य/प्राकृतिक मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के नामित को रुपये 30,000/-

(iii) दुर्घटना से बीमित व्यक्ति के स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रुपये 75,000/-

(iv) दुर्घटना से एक आंख या एक हाथ/पांव भंग होने की स्थिति में रुपये 37,500/-
भारतीय जीवन बीमा गिनम द्वारा प्रदाय किया जावेगा.

(v) बीमित व्यक्ति के अधिकतम दो बच्चों को, जो 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् हों अथवा आईटीआई में अध्ययनरत् हैं, को प्रतिमाह रुपये 100/- छात्रवृत्ति, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदाय की जावेगी. किन्तु यदि विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब उसे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा.

(ई) आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) योजना के सदस्य की मृत्यु होने पर सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति को एक दावा प्रपत्र भरना पड़ेगा, जिसके दावे की जांच एवं पुष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा की जाएगी. तदुपरांत दावे को आगामी कार्यवाही के लिए मंडल प्रबंधक, "जीवन प्रकाश भवन", जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर को प्रस्तुत किया जाएगा.

(ii) मृत्यु की दशा में आवश्यक अभिलेख—

(क) सामान्य मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति आवेदन के साथ, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी से सत्यापित ,

(ख) दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट, पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट आवेदन के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी से सत्यापित,

(iii) स्थायी/अस्थाई अपंगता की स्थिति में मान्यता-प्राप्त चिकित्सक का प्रतिवेदन.

(iv) शिष्यवृत्ति प्रपत्र, शाला प्रमुख एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति से सत्यापित.

(फ) आवेदन के निराकरण की समयावधि :—

(i) हितग्राही/नामित से विधिवत् पूर्ण आवेदन जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त होने के 10 कार्यदिनरा के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम को जनपद पंचायत से प्राप्त विधिवत् पूर्ण आवेदनों का 10 कार्यदिवस के भीतर निराकरण कर आवेदक/नामित तथा जनपद पंचायत को सूचित किया जाना होगा.

(फ) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-1/2013/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ के बॉयलर क्रमांक-C.G./247 को दिनांक 12-09-2013 से 10-11-2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक 41/4967/2011/10-1/वन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3552-53/4967/2011/10-1/वन, दिनांक 23-11-2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन की धारा-84 (ia) निहित प्रावधानों के अंतर्गत, श्री विजय नाथ सिंह, पूर्व विधायक, लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा को, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर का "अध्यक्ष" नियुक्त किया गया था.

2. श्री विजय नाथ सिंह, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 23-10-2013 को, राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 23-10-2013 से स्वीकार करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. राठौर, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 25 अगस्त 2013

क्रमांक 7515/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	ग्राम चिरमी एवं ग्राम पटमा	0.57 1.17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.)	पुल निर्माण व पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग मनेन्द्रगढ़, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खड़गवां-चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा	0.80	आयुक्त, नगर पालिका निगम कोरबा.	ग्राम-कोरबा क्षेत्रांतर्गत सर्वमंगला बाई पास रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 753/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गनियारीपाली	2.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना उलट निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्र.क्र. 6/अ-82/वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	गडुवा प.ह.नं. 5	1.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	देवरबीजा से खम्हरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नतिकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 09/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बिटकुली प.ह.नं. 18	3.02	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 377/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	टुण्ड्री प.ह.नं. 2	9.13	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 379/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाड़ादरहा प.ह.नं. 02	12.54	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/160/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बरारमुन्डी प.ह.नं. 10	0.403	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	गुण्डरदेही - नांदिया - बरारमुन्डी मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/162/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बरछाटोला प.ह.नं. 03	1.919	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के शाखा नहर नाली क्र. 01 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/164/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बरछाटोला प.ह.नं. 03	1.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के शाखा नहर नाली क्र.02 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/165/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	शिकारीटोला प.ह.नं. 06	0.973	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के अंतर्गत शिकारीटोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/166/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	नागरकोहरा प.ह.नं. 02	2.048	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के चिचोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवागुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	22	0.10
योग		0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेन्द्रो सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 52/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिराईपानी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.842 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	201/2	0.842
योग		0.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बघनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.844 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89	0.049
348	0.049
90	0.069
336	0.061
91/2	0.008
94/1	0.045
312/3	0.016
339/2	0.016
344/3	0.045
344/4	0.150
344/1ख	0.045
94/2क	0.081
94/2ख	0.04
212	0.016
340/2	0.097
211	0.089
337	0.061
210/1	0.016
338	0.142
208	0.020
209	0.073
346	0.101
179/1	0.016
179/2	0.028
180/1	0.004
340/1	0.006
177/5	0.008
181	0.004
178/1	0.061
349/3	0.049
189/2	0.008
189/3	0.04
188/1	0.053
188/2	0.008
190	0.020
191	0.032
349/6	0.101
312/4	0.105
333/4	0.012
योग 39	1.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनागर-भूपदेवपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भोगहापारा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
665	$0.09^{1/2}$
751	$0.04^{1/2}$
752	0.10

	(1)	(2)
	753	0.30
	754/1	0.03
योग	5	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सत्तीगुड़ी, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.97 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	190, 191/1, 191/2	0.04
	196	0.11
	197/1	0.02
	197/2	0.01
	198	0.06
	199	0.06
	200	0.07
	201	0.01
	202	0.04
	203/1, 203/2	0.28
	215/1	0.14
	215/2	0.06
	216	0.12
	217	0.21
	218/1, 218/2, 218/3, 218/4	0.52
	219	0.22
	220	0.35
	221	0.43
	222	0.66
	268, 269/1, 272, 286/1	0.03
	273	0.21
	285, 287/2	0.14
	287/1	0.07
	288/2	0.11
योग	24	3.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सत्तीगुड़ी एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक 09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भड़ेरियापारा, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
598, 599, 621	0.129

(1)	(2)
623	0.028
624	0.032
625	0.016
626/1	0.024
626/2	0.024
628	0.053
639/1	0.024
639/2	0.012
640	0.036
641	0.020
642	0.012
643/4	0.008
644	0.004
649/1	0.004
649/2	0.004
651/2	0.004
653	0.004
654	0.004
655/3	0.004
655/5	0.004
656/2	0.004
661	0.004
805/1	0.012
805/2	0.012
806	0.024
योग 25	0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण बॅराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक/प्र.क्र. 2/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खाती, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.206 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
912	0.160
913/1	0.010
913/2	0.010
913/3	0.010
917	0.016
योग 5	0.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारेसरा खम्हरिया मार्ग पर खाती नाला पर पुल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक/159/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प.ह.नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	404	0.13
	409/2	0.67
	409/3	0.24
	411	0.08
योग	4	1.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनगांव एनीकट कम काजवे अंतर्गत बांध पार एवं सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक/827/प्र.क्र. 8-अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-रीवागहन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	369	0.04
योग	1	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीलौटी, ठेकवा, चारभाठा, सुरपा, टेमरी, पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन जिला-दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 01 जनवरी 2014

क्रमांक/दु.स्था.अधि./2014/01.—पूर्व अधिसूचना क्रमांक 01/छ.ग./दु.स्था./दिनांक 01-01-2011/छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 को अधिक्रमित करते हुए नई अधिसूचना क्रमांक 01/छ.ग./दु.स्था./2014 छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3-क) श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4514/16-ए दिनांक 09-12-1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आर. के. तम्हाने, श्रम पदाधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) बेमेतरा जिले के अन्तर्गत आने वाले शहर बेमेतरा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं, की दुकान एवं स्थापनाओं हेतु साप्ताहिक बंद दिवस दिन रविवार घोषित करता हूं.

उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

आर. के. तम्हाने,
श्रम पदाधिकारी.

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2013-14/152.—मैं देवेन्द्र सिंह, गन्ना आयुक्त छत्तीसगढ़, गन्ना अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद जिला बालोद के लिये गन्ना पेराई वर्ष 2013-14 के निम्न क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना क्षेत्र आरक्षित घोषित करता हूं यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखंड का नाम	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कारखाना गेट	बालोद	52	184.60
		गुरूर	41	113.79
		डोंडीलोहारा	67	190.63
		डोंडी	15	27.95
		गुण्डरदेही	41	84.60
		पाटन	15	73.39
		दुर्ग	9	25.28
		योग	**240**	**700.24**
2.	बेरला	बेरला	23	566.20
		साजा	12	205.70
		धमधा	34	255.02
		योग	**69**	**1026.92**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	आनंदगांव	बेरला	19	265.00
		बेमेतरा	27	167.65
		योग	**46**	**432.65**
		महायोग	**255**	**2159.99**

यह आदेश जब तक कि इस हेतु समपरिवर्तित या अपरिवर्तित आदेश प्रसारित नहीं किये जाये तब तक गन्ना पेराई वर्ष 2013-14 में प्रभावशील रहेगा.

देवेन्द्र सिंह,
गन्ना आयुक्त.

शक्कर कारखाना गेट पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों की सूची विकासखंडवार

पेराई सत्र 2013-14

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	ग्राम का नाम (3)	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में) (4)	कारखाने से ग्राम की दूरी (5)
1.	बालोद	पिपरछेड़ी	3.90	15
2.	बालोद	चारवाही	5.95	18
3.	बालोद	अरौद	2.50	35
4.	बालोद	लाटाबोड	10.10	22
5.	बालोद	खपरी	3.00	25
6.	बालोद	बोरी खपरी	0.80	28
7.	बालोद	बोरी	1.00	28
8.	बालोद	लोण्डी	0.50	35
9.	बालोद	मटीया बी	0.50	25
10.	बालोद	पोण्ड्री	0.50	25
11.	बालोद	नेवारीखुर्द	0.50	22
12.	बालोद	नेवारीकला	0.70	26
13.	बालोद	सुंदरा	10.50	31
14.	बालोद	जगन्नाथपुर	6.50	35
15.	बालोद	सांकरा जं.	11.00	40
16.	बालोद	डेगरापार	0.50	41
17.	बालोद	नागाडबरी	6.00	20
18.	बालोद	गोडरी	1.60	12
19.	बालोद	लिमोरा	1.50	10
20.	बालोद	करहीभदर	4.60	6
21.	बालोद	कन्नेवाड़ा	3.20	4
22.	बालोद	सांकरा क.	6.90	5
23.	बालोद	जमरूवा	5.95	12
24.	बालोद	साल्हेटोला	0.50	12
25.	बालोद	सेम्हरकोन्हा	2.50	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	बालोद	जगतरा	3.70	15
27.	बालोद	टेकापार	1.00	26
28.	बालोद	दरबारी नवागांव	2.00	41
29.	बालोद	बालोद	1.00	22
30.	बालोद	तरौद	2.20	31
31.	बालोद	मुल्ले	5.50	25
32.	बालोद	मेड़की	2.00	24
33.	बालोद	ओरमा	5.70	26
34.	बालोद	परसोदा	6.40	12
35.	बालोद	सोहतरा	3.50	12
36.	बालोद	घुमका	2.20	30
37.	बालोद	कोहंगाटोला	7.00	28
38.	बालोद	मनौद	10.60	31
39.	बालोद	खुर्सीपार	3.00	32
40.	बालोद	परेगुडा	1.50	8
41.	बालोद	हथौद	2.40	6
42.	बालोद	रेवती नवागांव	1.50	31
43.	बालोद	रानीतराई	0.50	26
44.	बालोद	जुंगेरा	0.50	24
45.	बालोद	हर्राठेमा	1.50	31
46.	बालोद	बेलोदा	2.70	35
47.	बालोद	चिराईगोड़ी	0.50	7
48.	बालोद	उमरादाह	0.50	17
49.	बालोद	सोरर	0.50	6
50.	बालोद	करकाभाट	1.50	1
51.	बालोद	आरादाह	2.00	35
52.	बालोद	कांडे	22.00	18
		योग	**184.60**	
1.	गुरूर	कान्हापुरी	1.50	13
2.	गुरूर	अरमरी खुर्द	1.00	35
3.	गुरूर	कोसागोंदी	0.50	35
4.	गुरूर	पडकीभाट	3.00	35
5.	गुरूर	थनौद	3.75	38
6.	गुरूर	डोटोपार	0.50	35
7.	गुरूर	अरकार	1.40	41
8.	गुरूर	हसदा	1.00	35
9.	गुरूर	बोहारा	1.00	35
10.	गुरूर	भिरई	6.60	35
11.	गुरूर	मुडखुसरा	0.50	20
12.	गुरूर	फागूनदाह	1.00	25
13.	गुरूर	पेडरवानी	0.50	35
14.	गुरूर	बोरीकला	1.00	25
15.	गुरूर	अकलवारा	10.40	25
16.	गुरूर	खोरदो	0.50	30
17.	गुरूर	परसुली	1.50	25
18.	गुरूर	खुंदनी	1.60	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	गुरूर	सरबदा	1.50	20
20.	गुरूर	चिरचारी	3.70	5
21.	गुरूर	कपरमेंटा	4.70	6
22.	गुरूर	डोकला	1.60	20
23.	गुरूर	टें./बरपारा	4.10	6
24.	गुरूर	धनोरा	1.10	7
25.	गुरूर	तार्री	1.00	8
26.	गुरूर	ठेकावाडीह	4.20	13
27.	गुरूर	दुपचेरा	6.34	17
28.	गुरूर	सोनईडोंगरी	4.80	17
29.	गुरूर	दानीटोला	2.00	13
30.	गुरूर	मोखा	0.50	16
31.	गुरूर	चुल्हापत्थरा	1.50	18
32.	गुरूर	हितेकसा	3.60	15
33.	गुरूर	मुगचुवा	0.50	12
34.	गुरूर	रूपुटोला	1.65	20
35.	गुरूर	बड़भूम	0.50	30
36.	गुरूर	नारागांव	0.60	15
37.	गुरूर	सोरर	0.50	10
38.	गुरूर	पलारी	27.40	41
39.	गुरूर	देवकोट	1.75	35
40.	गुरूर	भोथली	2.00	18
41.	गुरूर	धनेली	1.00	18
		योग	113.79	
1.	डौंडीलोहारा	किसना	12.40	65
2.	डौंडीलोहारा	सुरसुली	2.20	63
3.	डौंडीलोहारा	बहेराभाटा	2.80	62
4.	डौंडीलोहारा	देवरी	0.53	55
5.	डौंडीलोहारा	गोरमार्रा	4.40	65
6.	डौंडीलोहारा	आलीखुटा	0.40	62
7.	डौंडीलोहारा	खैरीडीह	10.60	52
8.	डौंडीलोहारा	खपराभांठ	5.40	52
9.	डौंडीलोहारा	हडगहन	1.40	68
10.	डौंडीलोहारा	चेब. नवागांव	7.10	65
11.	डौंडीलोहारा	परसाडीह	3.00	51
12.	डौंडीलोहारा	गजईडीह	2.00	62
13.	डौंडीलोहारा	सम्बलपुर	1.00	48
14.	डौंडीलोहारा	कुंवागांव	2.90	63
15.	डौंडीलोहारा	गणेश खपरी	3.40	65
16.	डौंडीलोहारा	खमभाट	2.50	72
17.	डौंडीलोहारा	रिवागहन	0.50	62
18.	डौंडीलोहारा	झिर्लिया	1.40	62
19.	डौंडीलोहारा	पिनकापार	2.00	70
20.	डौंडीलोहारा	फुलसन्दरी	4.00	72
21.	डौंडीलोहारा	[illegible]पुर	2.50	72
22.	डौंडीलोहारा	मु[illegible]	4.50	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	डौंडीलोहारा	सिराभाटा	2.00	72
24.	डौंडीलोहारा	खामतराई	4.00	64
25.	डौंडीलोहारा	अण्डी	1.00	48
26.	डौंडीलोहारा	अछोली	1.40	51
27.	डौंडीलोहारा	गुरामी	2.00	48
28.	डौंडीलोहारा	परसुली	0.50	54
29.	डौंडीलोहारा	हरदी	1.30	71
30.	डौंडीलोहारा	सोरली	1.50	56
31.	डौंडीलोहारा	कोसमी	1.00	55
32.	डौंडीलोहारा	कापसी	0.50	49
33.	डौंडीलोहारा	कासही पापरा	1.60	40
34.	डौंडीलोहारा	पापरा	2.40	45
35.	डौंडीलोहारा	बुन्देली	1.50	45
36.	डौंडीलोहारा	फरदडीह	1.40	40
37.	डौंडीलोहारा	सुर्रेगांव	7.30	50
38.	डौंडीलोहारा	भुरकाभांट	3.50	60
39.	डौंडीलोहारा	कोबा	1.00	60
40.	डौंडीलोहारा	कुम्हालारी	10.60	60
41.	डौंडीलोहारा	खैरा	2.50	50
42.	डौंडीलोहारा	बनगांव	2.00	40
43.	डौंडीलोहारा	दुघली	1.80	30
44.	डौंडीलोहारा	कलकसा	2.60	25
45.	डौंडीलोहारा	खपरी	8.00	30
46.	डौंडीलोहारा	मालीघोरी	0.50	25
47.	डौंडीलोहारा	रेंगनी	20.00	35
48.	डौंडीलोहारा	गरका	2.50	56
49.	डौंडीलोहारा	कोचेरा	2.50	51
50.	डौंडीलोहारा	बिजोरा	0.50	49
51.	डौंडीलोहारा	नारगी	2.00	47
52.	डौंडीलोहारा	कुम्हालोरी	0.50	57
53.	डौंडीलोहारा	जटादाह	1.50	42
54.	डौंडीलोहारा	हथौद	1.50	51
55.	डौंडीलोहारा	भीमकन्हार	0.50	55
56.	डौंडीलोहारा	फरदफोड़	2.00	62
57.	डौंडीलोहारा	चिन्हाटीकला	3.50	38
58.	डौंडीलोहारा	मरकाटोला	1.50	55
59.	डौंडीलोहारा	सहगांव	1.00	50
60.	डौंडीलोहारा	जोगीभाट	1.50	48
61.	डौंडीलोहारा	चिल्हाटीखुर्द	1.00	42
62.	डौंडीलोहारा	डौण्डीलोहारा	1.50	42
63.	डौंडीलोहारा	झरनटोला	0.50	57
64.	डौंडीलोहारा	बुल्लूटोला	1.70	55
65.	डौंडीलोहारा	खोलझर	2.00	52
66.	डौंडीलोहारा	भवरमरा	1.60	65
67.	डौंडीलोहारा	सीतापठार	2.50	68
		योग	**190.63**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डौंडी	मंगल तराई	3.10	30
2.	डौंडी	घुटिया	4.50	25
3.	डौंडी	सिघोला	0.50	35
4.	डौंडी	घोटिमटोला	1.20	45
5.	डौंडी	परसोदा	1.00	40
6.	डौंडी	मटियाकला	1.20	35
7.	डौंडी	भार्रीटोला	0.50	45
8.	डौंडी	ढोरीठेमा	1.65	48
9.	डौंडी	ठेमाखुर्द	0.40	45
10.	डौंडी	भेसबोड़	6.00	25
11.	डौंडी	मुडराटोला	0.50	35
12.	डौंडी	आमाडुला	0.50	60
13.	डौंडी	मथेना	1.20	53
14.	डौंडी	बेलोदा	2.70	30
15.	डौंडी	चिकलाकसा	3.00	52
		योग	27.95	
1.	गुण्डरदेही	बासीन	0.50	48
2.	गुण्डरदेही	देवगहन	0.50	58
3.	गुण्डरदेही	लासाटोला	0.50	42
4.	गुण्डरदेही	कांदूल	1.00	55
5.	गुण्डरदेही	टिकरी	0.50	55
6.	गुण्डरदेही	अर्जुन्दा	0.50	65
7.	गुण्डरदेही	भरदाकला	0.50	70
8.	गुण्डरदेही	कमरौद	9.50	37
9.	गुण्डरदेही	पिरोद	1.00	37
10.	गुण्डरदेही	साकरी	2.00	27
11.	गुण्डरदेही	सिकोसा	1.70	36
12.	गुण्डरदेही	चाराभाटा	1.80	40
13.	गुण्डरदेही	थीथीपारा	0.50	40
14.	गुण्डरदेही	कोडेवा	3.20	42
15.	गुण्डरदेही	चन्दनबीहरी	1.00	42
16.	गुण्डरदेही	लिमोरा	4.00	38
17.	गुण्डरदेही	जारोतराई	0.50	45
18.	गुण्डरदेही	रनचिराई	0.50	50
19.	गुण्डरदेही	रांहुद	1.00	55
20.	गुण्डरदेही	परसदा	1.00	55
21.	गुण्डरदेही	सिरसिदा	1.20	56
22.	गुण्डरदेही	डौकाडीह	1.00	56
23.	गुण्डरदेही	गुरेदा	1.00	50
24.	गुण्डरदेही	हरनसिंघी	0.50	45
25.	गुण्डरदेही	पेण्ड्रीं	29.00	45
26.	गुण्डरदेही	कलगपुर	4.00	48
27.	गुण्डरदेही	फुण्डा	0.50	38
28.	गुण्डरदेही	वारगहन	1.00	45
29.	गुण्डरदेही	वोदल	0.50	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	गुण्डरदेही	मोखा	0.50	26
31.	गुण्डरदेही	अचौद	2.00	40
32.	गुण्डरदेही	मांगरी	0.20	35
33.	गुण्डरदेही	सलोनी	0.50	36
34.	गुण्डरदेही	भाटागांव बी	1.00	40
35.	गुण्डरदेही	सिराभाटा	0.50	47
36.	गुण्डरदेही	हल्दी	1.50	23
37.	गुण्डरदेही	बेलोदी	3.00	22
38.	गुण्डरदेही	बरबसपुर	1.00	50
39.	गुण्डरदेही	मटेवा	2.50	45
40.	गुण्डरदेही	डुडेरा	1.00	36
41.	गुण्डरदेही	भेंगारी	0.50	36
		योग	**84.60**	
1.	पाटन	रीवागहन	0.30	35
2.	पाटन	बटरेल	3.50	36
3.	पाटन	उमरपोटी	0.40	38
4.	पाटन	सुकोना	0.12	75
5.	पाटन	कौरी	0.73	80
6.	पाटन	अचानकपुर	0.12	70
7.	पाटन	चुनकट्टा	0.12	55
8.	पाटन	छाता	0.50	50
9.	पाटन	किकरमेटा	0.40	42
10.	पाटन	आगेसरा	2.40	42
11.	पाटन	सिरसाकला	0.40	96
12.	पाटन	रोही	2.50	80
13.	पाटन	सेलूद	0.20	80
14.	पाटन	औसर	2.00	82
15.	पाटन	मगरघटा	59.70	106
		योग	**73.39**	
1.	दुर्ग	कोकड़ी	4.00	88
2.	दुर्ग	चुदखुरी	1.50	80
3.	दुर्ग	उमरपोटी	2.40	105
4.	दुर्ग	महमरा	2.12	96
5.	दुर्ग	कुथरेल	3.00	82
6.	दुर्ग	विनायकपुर	2.12	85
7.	दुर्ग	खाडा	0.14	104
8.	दुर्ग	असनारा	8.20	100
9.	दुर्ग	कोटनी	1.80	102
		योग	**25.28**	
		महायोग **कुल ग्राम**	**240**	
		कुल रकबा (हे.)	**700.24**	

(3)

पेराई सत्र 2013-14 में क्रय केन्द्र बेरला (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी

क्रमांक (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	क्रय केन्द्र पर गन्ना आपुर्त करने वाले ग्रामों का नाम (3)	विकासखण्ड (4)	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में) (5)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.) (6)
1.	बेरला	बेरला	बेरला	21.50	0
2.	बेरला	गाडामोर	बेरला	87.00	10
3.	बेरला	सिंगारडीह	बेरला	17.50	17
4.	बेरला	तठियाकला	बेरला	13.00	10
5.	बेरला	लावतरा	बेरला	18.50	8
6.	बेरला	तारालीम	बेरला	14.00	6
7.	बेरला	खामतराई	बेरला	8.50	12
8.	बेरला	सांकरा	बेरला	21.10	6
9.	बेरला	बहेरा	बेरला	9.50	2
10.	बेरला	पतोरा	बेरला	18.50	5
11.	बेरला	गोड़गिरी	बेरला	6.50	14
12.	बेरला	करामाल	बेरला	12.25	3
13.	बेरला	परपोड़ा	बेरला	30.70	15
14.	बेरला	मोहभट्ठा	बेरला	22.00	17
15.	बेरला	पाथरपुंजी	बेरला	30.00	8
16.	बेरला	सोंढ	बेरला	43.50	8
17.	बेरला	भरचट्टी	बेरला	9.50	8
18.	बेरला	बचेड़ी	बेरला	25.85	13
19.	बेरला	चौगीखपरी	बेरला	11.00	15
20.	बेरला	तिलई	बेरला	12.40	12
21.	बेरला	बारगांव	बेरला	85.40	12
22.	बेरला	करेली	बेरला	13.50	10
23.	बेरला	बांसा	बेरला	34.50	3
24.	बेरला	देवकर	साजा	4.00	24
25.	बेरला	राखी	साजा	39.00	21
26.	बेरला	अमलीडीह	साजा	15.00	35
27.	बेरला	परसबोड	साजा	20.20	26
28.	बेरला	साजा	साजा	39.00	29
29.	बेरला	डोंगीतराई	साजा	8.00	31
30.	बेरला	रांबलपुर	साजा	14.00	38
31.	बेरला	खाती	साजा	10.00	42
32.	बेरला	अकलवारा	साजा	38.00	30
33.	बेरला	नवकेसा	साजा	7.00	32
34.	बेरला	सोमईकला	साजा	7.00	40
35.	बेरला	बेदर्ची	साजा	4.50	30
36.	बेरला	पेन्ड्री	धमधा	5.00	32
37.	बेरला	सगनी	धमधा	6.00	40
38.	बेरला	कौड़िया	धमधा	4.56	29
39.	बेरला	घटियाखुर्द	धमधा	8.00	22
40.	बेरला	मुडपार	धमधा	2.80	20
41.	बेरला	मोहदी	धमधा	5.00	22
42.	बेरला	चेटवा	धमधा	10.2	30
43.	बेरला	अछोली	धमधा	7.50	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	बेरला	दादर	धमधा	8.00	30
45.	बेरला	संडी	धमधा	10.50	21
46.	बेरला	डूमर	धमधा	9.67	26
47.	बेरला	गिरहोला	धमधा	11.20	18
48.	बेरला	माटरा	धमधा	9.50	12
49.	बेरला	धमधा	धमधा	6.50	22
50.	बेरला	बानबरद	धमधा	15.00	25
51.	बेरला	अहिवारा	धमधा	4.00	22
52.	बेरला	मोहरेंगा	धमधा	4.00	10
53.	बेरला	खजरी	धमधा	8.67	11
54.	बेरला	तरकोरी	धमधा	5.00	6
55.	बेरला	ठठिया	धमधा	7.00	7
56.	बेरला	मुरमुदा	धमधा	4.50	25
57.	बेरला	खपरी	धमधा	10.50	20
58.	बेरला	ढौर	धमधा	2.50	21
59.	बेरला	कपसदा	धमधा	7.50	20
60.	बेरला	पेरहा	धमधा	2.50	32
61.	बेरला	बासाडीह	धमधा	6.50	18
62.	बेरला	लहंगा	धमधा	5.98	12
63.	बेरला	मलपुरीकला	धमधा	10.50	25
64.	बेरला	पंचदेवरी	धमधा	13.56	20
65.	बेरला	ओटेबंद	धमधा	12.50	25
66.	बेरला	पेन्ड्रीतराई	धमधा	9.25	12
67.	बेरला	लिमतरा	धमधा	6.40	12
68.	बेरला	मुर्रा	धमधा	9.50	24
69.	बेरला	खुंदनी	धमधा	5.23	25
			योग	**1026.92**	

पेराई सत्र 2013-14 में क्रय केन्द्र आनंदगांव (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय केन्द्र पर गन्ना आपुर्त करने वाले ग्रामों का नाम	विकासखण्ड	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आनंदगांव	कोसपातर	बेरला	8.50	8
2.	आनंदगांव	मटिया	बेरला	7.50	7
3.	आनंदगांव	आनंदगांव	बेरला	50.30	12
4.	आनंदगांव	नवागांव	बेरला	7.50	5
5.	आनंदगांव	खुड़मुड़ा	बेरला	25.00	4
6.	आनंदगांव	सिंगदेही	बेरला	11.50	8
7.	आनंदगांव	सहौली	बेरला	16.20	6
8.	आनंदगांव	बेलौदीकला	बेरला	8.50	10
9.	आनंदगांव	मुड़पारखुर्द	बेरला	7.65	10
10.	आनंदगांव	तेलगा	बेरला	8.20	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	आनंदगांव	संरदा	बेरला	12.50	8
12.	आनंदगांव	लेंजवारा	बेरला	15.80	8
13.	आनंदगांव	देवादा	बेरला	6.00	5
14.	आनंदगांव	अकोली	बेरला	10.00	8
15.	आनंदगांव	देवरी	बेरला	22.30	8
16.	आनंदगांव	हरदी	बेरला	17.50	15
17.	आनंदगांव	हसदा	बेरला	9.85	8
18.	आनंदगांव	तिवरैया	बेरला	11.00	32
19.	आनंदगांव	नेवनारा	बेरला	9.20	9
20.	आनंदगांव	लालपुर	बेमेतरा	2.00	49
21.	आनंदगांव	पचभैया	बेमेतरा	1.00	48
22.	आनंदगांव	पेंड्री (दाढ़ी)	बेमेतरा	2.00	38
23.	आनंदगांव	खडसरा	बेमेतरा	8.35	34
24.	आनंदगांव	भैसा	बेमेतरा	5.20	36
25.	आनंदगांव	झाराडीह	बेमेतरा	5.00	38
26.	आनंदगांव	बेतर	बेमेतरा	2.00	42
27.	आनंदगांव	बटार	बेमेतरा	3.00	44
28.	आनंदगांव	पंडरभट्ठा	बेमेतरा	6.50	34
29.	आनंदगांव	पेंड्रतराई	बेमेतरा	4.50	32
30.	आनंदगांव	लावातरा	बेमेतरा	4.00	35
31.	आनंदगांव	करचुआ	बेमेतरा	5.00	32
32.	आनंदगांव	पेंड्री (बालसमुंद)	बेमेतरा	10.20	36
33.	आनंदगांव	कुसमी	बेमेतरा	8.30	39
34.	आनंदगांव	सिंगपुर	बेमेतरा	4.20	27
35.	आनंदगांव	बहु नवागांव	बेमेतरा	5.40	42
36.	आनंदगांव	मटका	बेमेतरा	14.00	35
37.	आनंदगांव	बीजापुर	बेमेतरा	4.50	32
38.	आनंदगांव	अमोरा	बेमेतरा	3.00	38
39.	आनंदगांव	चावरभंठा	बेमेतरा	14.00	42
40.	आनंदगांव	लेलासरा	बेमेतरा	8.00	47
41.	आनंदगांव	बहरा	बेमेतरा	6.00	52
42.	आनंदगांव	बाराडोरा	बेमेतरा	2.00	45
43.	आनंदगांव	सुगहनपुर	बेमेतरा	12.00	46
44.	आनंदगांव	सुखाताल	बेमेतरा	5.00	46
45.	आनंदगांव	कांडेसरा	बेमेतरा	10.00	46
46.	आनंदगांव	गर्रा	बेमेतरा	12.50	46
			योग	**432.65**	

आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संकलित जानकारी

1. कारखाना कार्यक्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या — 274 रकबा-955.26 हेक्टेयर
(बालोद, गुरूर, डौंडीलोहारा, डौंडी, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग एवं धमधा)
2. कारखाना कार्यक्षेत्र के बाहर के कुल ग्रामों की संख्या — 81 रकबा-1204.73 हेक्टेयर
(बेरला, साजा एवं बेमेतरा)

महायोग ग्राम — 355 रकबा-2159.99 हेक्टेयर

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 755 /तीन-10-8/2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-6867/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 9753/3569/XXI-B/13 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 24-10-2013 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालौद	1. बालौद	2	1. बालौद	2	1. बालौद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	2	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	2	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोंडागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	2	2. केशकाल	1
13.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
15.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
				2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
16.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
17.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
20.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	1	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 7556/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 6867/III-10-8/2000 (VI), dated 23-09-2013, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 9753/3569/XXI-B/13 dated 21-10-2013 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 24-10-2013 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	2	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(8)							
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	2	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
12.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1. Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2. Narayanpur	1	2. Keshkal	1
13.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
15.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
				2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
16.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
17.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1
19.	Surajpur	1. Surajpur	3	1. Surajpur	2	1. Surajpur	2
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Ramanujganj	1	2. Ramanujganj	2	2. Wadrafnagar	1
						3. Sitapur	1
						4. Balrampur	1
						5. Rajpur	1
21.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1

Note :—2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 7557/तीन-10-8/2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-6868/तीन-10-8/2000 (IV), दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 9749/3569/21-बी/13 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश का न्यायालय दिनांक 24 अक्टूबर 2013 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला न्यायाधीश का न्यायालय (2)	बैठने का स्थान (3)
1.	बालौद	1. बालौद
2.	बलौदाबाजार	3. बलौदाबाजार
3.	बस्तर (जगदलपुर)	2. जगदलपुर
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
5.	बिलासपुर	4. बिलासपुर
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	2. दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	2. धमतरी
8.	दुर्ग	2. दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	3. जांजगीर
10.	जशपुर	3. जशपुर
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
12.	कोण्डागांव	3. कोण्डागांव
13.	कोरबा	1. कोरबा
14.	कोरिया (बैकुंठपुर)	3. बैकुण्ठपुर

(1)	(2)	(3)
15.	महासमुंद	2. महासमुंद
16.	रायगढ़	3. रायगढ़
17.	रायपुर	3. रायपुर
18.	राजनांदगांव	4. राजनांदगांव
19.	सूरजपुर	3. सूरजपुर
20.	सरगुजा (अंबिकापुर)	3. अम्बिकापुर
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	3. कांकेर

No. 7557/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 6868/III-10-8/2000 (IV), dated 23 September 2013, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges as established by the Law Department Notification No. 9749/3569/XXI-B/13 dated 21 October 2013 for the Civil District of Chhattisgarh shall sit with effect from the 24th October 2013 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of District Judge (2)	Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar	3. Balodabazar
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
4.	Bemetara	1. Bemetara
5.	Bilaspur	1. Bilaspur
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
7.	Dhamtari	1. Dhamtari
8.	Durg	1. Durg
9.	Janjgir-Champa	3. Janjgir
10.	Jashpur	3. Jashpur
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
12.	Kondagaon	5. Kondagaon
13.	Korba	1. Korba
14.	Koriya (Baikunthpur)	3. Baikunthpur
15.	Mahasamund	1. Mahasamund
16.	Raigarh	3. Raigarh
17.	Raipur	1. Raipur
18.	Rajnandgaon	4. Rajnandgaon
19.	Surajpur	3. Surajpur
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur
21.	Uttar Bastar (Kanker)	3. Kanker

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 7558/तीन-10-8/2000 (VI).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-6869/तीन-10-8/2000 (IV), दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है दिनांक 24 अक्टूबर 2013 से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय,

साधारणतः उक्त सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बालौद	1. बालौद
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. मुंगेली 3. पेण्ड्रारोड
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	1. धमतरी
8.	दुर्ग	1. दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती
10.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव 2. नारायणपुर
13.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा
14.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुण्ठपुर 2. मनेन्द्रगढ़
15.	महासमुंद	1. महासमुंद
16.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़

(1)	(2)	(3)
17.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद
18.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर
20.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर 2. रामानुजगंज
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

No. 7558/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 6869/III-10-8/2000 (IV), dated 23-09-2013, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect from the 24th October 2013 ordinarily the Court of Sessions specified in column No. (2) of the Table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
4.	Bemetara	1. Bemetara
5.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendraroad
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
7.	Dhamtari	1. Dhamtari
8.	Durg	1. Durg
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti
10.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri

(1)	(2)	(3)
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
12.	Kondagaon	1. Kondagaon 2. Narayanpur
13.	Korba	3. Korba 4. Katghora
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh
15.	Mahasamund	1. Mahasamund
16.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh
17.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband
18.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
19.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Ramanujganj
21.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

Bilaspur, the 23rd October 2013

No. 512/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date he assumes charge of his office :—

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vinay Kumar Kashyap, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.	Durg	Kondagaon	Kondagaon	District & Sessions Judge of Civil District Kondagaon, which shall come into existence w.e.f. 24-10-2013.

Bilaspur, the 23rd October 2013

No. 514/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in column No. (3) and posted on the post of special Judge of the Special Court established by the State Government under section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rakesh Bihari Ghore, III Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act vice Shri Vinay Kumar Kahsyap.

Bilaspur, the 25th October 2013

No. 517/Confdl./2013/II-1-1/2010.—Hon'ble Shri Justice Radhe Shyam Sharma, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has resigned from the office of Judge of High Court of Chhattisgarh w.e.f. 08-10-2013.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्रमांक 7863/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 3215 तीन-6-7/2000 दिनांक 10 मई, 2012 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्रीमती संगीता नवीन तिवारी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No. 7863/III-6-7/2000.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 3215/III-6-7/2000 dated 10 May, 2012 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Smt. Sangeeta Naveen Tiwari, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G./ dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

By order of the High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.